रजिस्ट्री सं० डी०एल०-33004/98 REGD. NO. D.L.-33004/98

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-Section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 245] नई दिल्ली, मंगलवार, जून 30, 1998/आषाढ़ 9, 1920
No. 245] NEW DELHI, TUESDAY, JUNE 30, 1998/ASADHA 9, 1920

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 जून, 1998

सा. का. नि. 373 (अ).—अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान अधिनियम, 1956 (1956 का 25) की धारा 29 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, केन्द्रीय सरकार के पूर्वानुमोदन से अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान विनियम, 1958 में और संशोधन करने के लिए एतद्द्वारा निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात् :—

1. (1) इन विनियमों का नाम अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (संशोधन) विनियम, 1998 है।

(2) ये सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान विनियम, 1958 में विनियम 30 में उप-विनियम (1) और (2) के स्थान पर निम्नलिखित उप विनियम रखे जाएंगे; नामतः —

(1) संस्थान के अध्यापन संकाय के सदस्यों और कर्मचारियों सहित चिकित्सा और वैज्ञानिक विशेषज्ञों की अधिवर्षितावय 60 वर्ष होगी: परन्तु यह उपबंध उस व्यक्ति के मामले में जो सेवा विस्तार पर है, लागू नहीं होगा।

(2) चिकित्सा और वैज्ञानिक विशेषज्ञों को उन व्यक्तियों के मामले में जो विशेष रूप से प्रतिभासम्पन्न हैं, लिखित रूप में कारण बताने पर और संबंधित व्यक्ति के शारीरिक रूप से स्वस्थ होने और उसकी लगातार कार्यकुशलता के आधार पर मामला-दर-मामला आधार पर 62 वर्ष की आयु तक सेवा में विस्तार की मंजूरी दी जा सकती है।

[फा. सं. 14-3/69/98-स्था.-I]

संस्थान के प्राधिकार द्वारा
डॉ. पी. के. दवे, निदेशक

ALL INDIA INSTITUTE OF MEDICAL SCIENCES

NOTIFICATION

New Delhi, the 30th June, 1998

G.S.R. 373(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 29 of the All-India Institute of Medical Sciences Act, 1956 (25 of 1956), the All-India Institute of Medical Sciences, with the previous approval of the Central Government, hereby makes the following regulations further to amend the All-India Institute of Medical Sciences Regulations, 1958, namely :—

(1) These Regulations may be called the All-India Institute of Medical Sciences (Amendment) Regulations, 1998.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

In the All-India Institute of Medical Sciences Regulations, 1958, in regulation 30, for sub-regulations (1) and (2), the following sub-regulations shall be substituted, namely :—

(1) The age of superannuation of the medical and scientific specialists including the members of teaching faculty and employees of the Institute shall be 60 years:
Provided that this provision shall not apply in the case of a person who is on extension in service.

(2) The medical and scientific specialists may be granted extension in service, on a case to case basis, upto the age of 62 years in the case of persons who are exceptionally talented for reasons to be recorded in writing and subject to physical fitness and continued efficiency of the person concerned.

[F. No. 14-3/69/98-Estt. I]
By the authority of the Institute
DR. P.K. DAVE, Director

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054 — 1998